समय–सीमा–स्मरण पत्र

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पाँचवी मन्जिल, ए–बी विंग भोपाल–462004

क्रं. 64/ 272/आ.उ.शि./छा.शा./2019 भोपाल, दिनांक 10-01-19

प्रति,

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
2. प्राचार्य समस्त शास./अनुदान प्राप्त अशास./गैर अनुदान प्राप्त निजी महावि., मध्यप्रदेश

विषय :– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1238/272/आउशि/छा.शा./18 दि. 19.12.18

–0–0–

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में विद्यार्थियों के हित में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। गांव की बेटी, प्रतिभा किरण, विक्रमादित्य आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में आवेदक पात्र छात्र–छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन करने तथा उनके ऑनलाईन भुगतान के लिये पहली बार तिथियों का निर्धारण किया गया है। अतएव समस्त प्राचार्य/कुलसचिव निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. आपको सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओ का प्रचार–प्रसार प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से करना सुनिश्चित करें। महाविद्यालय अपने परिसर में सूचना पटल पर भी अनिवार्य रूप से सभी योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी चस्पा करायें जिससे छात्र/छात्राओं को स्थायी जानकारी हो सके। महाविद्यालय परिसर के दीवारों आदि पर स्थायी रूप से पेंट (बाल राइटिंग) से लिखना, फ्लेक्स लगाना तथा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाये।

2. योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की एक हार्ड कापी संबंधित महाविद्यालय में छात्रवृत्ति प्रभारी के पास भी जमा करें। छात्र/छात्राओं के मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. कर अवगत करायें कि दिनांक 15 जनवरी 2019 तक इन योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है।

3. दिनांक 31 जनवरी 2019 तक इन योजनाओं के ऑनलाईन भुगतान की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

निरतंर––––

4. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् छात्रवृत्ति पोर्टल स्वतः बंद हो जायेगा। अतः यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नही कर पाया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी एवं ऑफ लाईन आवेदन विद्यार्थियों से स्वीकार नहीं किये जावेंगे । महाविद्यालय स्तर से ऑफ लाईन आवेदनों के स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही नहीं करना सुनिश्चित करें ।

5. जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को आई.डी. पासवर्ड दिये गये है । जो अपने जिले के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय की मॉनिटरिंग कर संबंधित अतिरिक्त संचालक को प्रति सप्ताह की गई समीक्षा की जानकारी उनके ई–मेल आई.डी. पर भेजें।

6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म0प्र0 के द्वारा भेजी गई जानकारी ही मान्य की जावेगी । प्रति सप्ताह सोमवार को छात्रवृत्ति शाखा के ई–मेल आई.डी. **heschlor@mp.gov.in** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। **कोई भी महाविद्यालय या अग्रणी प्राचार्य इस संबंध में सीधे जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित नही करेंगे।**

7. निर्धारित तिथि में विद्यार्थियों से आवेदन कराना तथा पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाईन भुगतान करना सुनिश्चित करें, यदि अवधि पर भुगतान न होने के कारण कोई विद्यार्थी सी.एम. हेल्पलाईन एवं समाधान ऑनलाईन में जाता है, तो इसके लिये संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म0प्र0 एवं जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावेगी।

10/1/19

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

पृष्ठांकन क्र. प्रशा./विविध/2019/1014 दिनांक– 23-1-2019

प्रतिलिपि :–

1. समस्त विभागाध्यक्षों/निदेशकों/समन्वयकों/विभाग प्रमुखों समस्त अध्ययन शालाएँ एवं संस्थानों की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तुत।
2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्धता प्रदान समस्त, प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालय जिला इन्दौर/खण्डवा/खरगोन धार/ झाबुआ/बुरहानपुर/बड़वानी/अलीराजपुर(व्यवसायिक/पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों एवं मेडिकल यूनानी/आयुर्वेद/फार्मेसी को छोड़कर) की ओर सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव एस.सी.एस.टी. सेल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
4. विभागाध्यक्ष आई.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
5. कुलपति के सचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।

उप कुलसचिव(प्रशा.)